



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 888]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2001/अग्रहायण 15, 1923

No. 888]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2001/AGRAHAYANA 15, 1923

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1197(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 61 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि ऐसा करना समीचीन है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में, -

(क) 'मत्स्य' से संबंधित भाग 2 क में, क्र०सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र०सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

'2 शार्क और रे

(i) एनोक्सीप्रिसटिस कस्पीडोटा

(ii) कार्कारिनस हेमियोडोन

(iii) ग्लाइफीयस गैजेटिकस

(iv) ग्लाइफीयस ग्लाइफीयस

- (v) हिमांतुरा फ्लूवियाटिलिस
- (vi) प्रिस्टिस माइक्रोडोन
- (vii) प्रिस्टिस जिसरोन
- (viii) रिंकोबेटस जीडेनसिस
- (ix) यूरोजिमनस एसपेरीमस ।

(ख) मोलस्क से संबंधित भाग 4 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित भाग 4 ख और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

**भाग 4 ख-मोलस्क**

1. केसिस कोरन्युटा
2. कैरोनिया ट्राइटोनिस
3. कोनस मैलनीवार्डसी
4. साइप्राकेसिस रूफा
5. हिपोपस हिपोपस
6. नोटिलस पाम्पिलियस
7. ट्राइडेक्ना मैक्सिमा
8. ट्राइडेक्ना स्कवेमोसा
9. टुडिकला स्पाइरालिस

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची 4 में, क्र०सं० 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र०सं० और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

**19 मोलस्क**

- (i) साइप्रेइया लैमासिना
- (ii) साइप्रेइया मापा

- (iii) साइप्रेइया टाल्पा
- (iv) फेसिओलेरिया ट्रापाजियम
- (v) हारपुलिना अराउसिका
- (vi) लेम्बिस चिराग्रा
- (vii) लेम्बिस चिराग्रा आरथीटिका
- (viii) लेम्बिस क्रोसिया
- (ix) लेम्बिस मिलीपिडा
- (x) लेम्बिस स्कोरपियस
- (xi) लेम्बिस ट्रंकेटा
- (xii) प्लैसेंटा प्लैसेंटा
- (xiii) स्ट्रोम्बस प्लीकेट्स सीब्बाल्डी
- (xiv) ट्रोकस नाइलोटिकस
- (xv) टरबो मारमोप्रेटस

[ फा. सं. 1-4/95 वन्यजीव-I ]

एस. सी. शर्मा, अपर महानिदेशक, वन (वन्यजीव)

टिप्पण— वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियां समय-समय पर संशोधित की गई हैं और इस संबंध में अंतिम अधिसूचना का०आ० 665 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2001 को प्रकाशित की गई थी ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2001

S.O. 1197(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 61 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, being of the opinion that it is expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule I and Schedule IV of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1. In Schedule I to the said Act, -

- (a) in Part II A relating to "Fishes", for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

## "2. Shark and Ray

- (i) Anoxypristis cuspidata
- (ii) Carcharhinus hemiodon
- (iii) Glyphius gangeticus
- (iv) Glyphius glyphius
- (v) Himantura fluviatilis
- (vi) Pristis microdon
- (vii) Pristis zijsron
- (viii) Rhynchobatus djiddensis
- (ix) Urogymnus asperrimus.";

- (b) for Part IV B, relating to Mollusca and the entries relating there to, the following Part IVB and the entries shall be substituted, namely:-

"Part IV B - Mollusca

- 1. Cassis cornuta
- 2. Charonia tritonis
- 3. Conus malheedwardsi
- 4. Cypracasis rufa
- 5. Hippopus hippopus
- 6. Nautilus pompilus
  
- 7. Tridacna maxima
- 8. Tridacna squamosa
- 9. Tudicla spiralis.";

2. In Schedule IV to the said Act, after serial number 18 and the entries relating there to, the following serial numbers and entries shall be added, namely:-

"19. Mollusca

- (i) *Cypraea lamacina*
- (ii) *Cypraea mappa*
- (iii) *Cypraea talpa*
- (iv) *Fasciolaria trapazium*
- (v) *Harpulina arausica*
- (vi) *Lambis chiragra*
- (vii) *Lambis chiragraarthitica*
- (viii) *Lambis crocea*
- (ix) *Lambis millepeda*
- (x) *Lambis scorpius*
- (xi) *Lambis truncata*
- (xii) *Placenta placenta*
- (xiii) *Strombus plicatus sibbaldi*
- (xiv) *Trochus niloticus*
- (xv) *Turbo marmopratus.*";

[F. No. 1-4/95 WL-I]

S. C. SHARMA, Addl. Director General of Forests (WL)

**Note:-** The various Schedules to the Wildlife (Protection) Act, 1972 were amended from time to time and the last notification in this regard was issued on 12<sup>th</sup> July, 2001 vide S.O. 665 (E) dated the 11<sup>th</sup> July, 2001.

\*\*\*\*\*

